शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क))

(लोक सभा निर्वाचन हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं रामदेव शर्मा .... जो लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप नाम निर्देशित हुआ हूँ *ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

रामदेव शर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम 5.4.2014

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती रामदेव शर्मा

आज दिनांक 05 माह 04 2014 को मेरे कार्यालय में (स्थान) पर 12.25 P.M बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

रामदेव शर्मा
5.4.2014

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर
— सह —
[illegible]

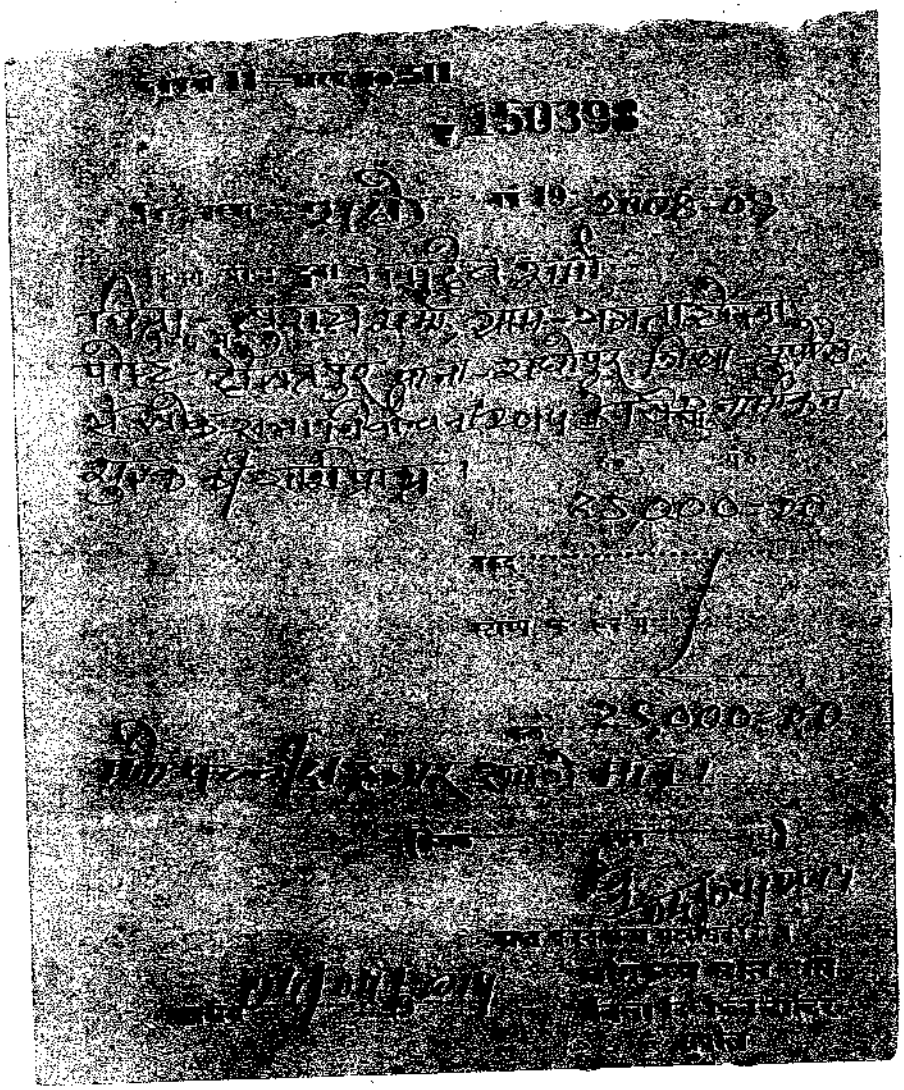

[प्ररूप 2 क

(नियम 4 देखिए)

17
5/4/14
12.25

नामनिर्देशन-पत्र
लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, में इनमें से लागू न हो, उसे काट दें

भाग - 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए ....08 सुपौल.... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम .... रामदेव शर्मा ....

पिता/माता/पति का नाम .... सुराय शर्मा .... उसका

डाक पता .... दौलतपुर .... उसका नाम .... 41 निर्मली ....

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 179

.... में क्रम सं० .... 877 .... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .... है जो ....

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट .... विधान सभा

निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामवली के भाग सं० .... में क्रम सं० .... पर

प्रविष्ट है।

तारीख ....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग - 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 08 सुपौल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम रामदेव शर्मा

पिता/भ्राता/पति का नाम सुराय शर्मा

उसका डाक पता दौलतपुर

उसका नाम 41 निर्मली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र * (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 179 में क्रम संख्यांक 877 पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्र० सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	डोमी शर्मा 41- निर्मली	179	911	डोमी शर्मा	डोमी शर्मा	5.4.14
2	41 निर्मली	179	947	दुर्योधन शर्मा	दुर्योधन शर्मा	5.4.14
3	41 निर्मली	179	878	सुख देव शर्मा	सुखदेव शर्मा	5.4.14
4	41 निर्मली	179	883	नरेश कुमार शर्मा	नरेश कुमार शर्मा	5.4.14
5	41 निर्मली	179	982	जितेन्द्र शर्मा	जितेन्द्र शर्मा	5.4.14
6	41 निर्मली	192	347	प्रमोद कुमार	प्रमोद कुमार	5.4.14
7	41 निर्मली	192	1288	हरेराम कुमार	हरेराम कुमार	5.4.14
8	41 निर्मली	192	552	शंकर रजक	शंकर रजक	5.4.14
9	41 निर्मली	192	407	दर्शन शर्मा	दर्शन शर्मा	5.4.14
10	41 निर्मली	179	794	विध्यानंद शर्मा	विध्यानंद	5.4.14

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग - 3

मैं भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने......55......... वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में ....शून्य.......... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

(ii) मुझे इस निर्वाचन में ....निर्दलीय.......... दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है । मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) ....Brush.......... (ii) .... (iii) ....

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता / माता / पति का नाम ऊपर .....देवनागरी..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोकसभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति / जनजाति का सदस्य हूँ जो .....शून्य..... राज्य के उस राज्य में के .....शून्य..... (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ** जाति/जनजाति है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोकसभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ***नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

रामदेव शर्मा

तारीख ....5.4.14.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए

** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए

---

* जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में " में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए ।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए ।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा ।

कृपया ध्यान दें :- मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

भाग - 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाय)

क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
(ख) उपधारा (2; में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है; या — हाँ / नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है
यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :- शून्य

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ......शून्य......

(ii) पुलिस थाना (थाने) ......शून्य...... जिला (जिले)......शून्य...... राज्य......शून्य......

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
......शून्य......

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) ......शून्य......

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ......शून्य......

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
......शून्य......

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शून्य

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ / नहीं शून्य

(ix) फाईल की गई अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ......शून्य......

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाईल किए गए थे ......शून्य......

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित हैं ......शून्य......

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया तो -
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ......शून्य......
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ......शून्य......

स्थान ......समाहरणालय परिसर सुपौल......

तारीख ......5.4.14......

रामदेव शर्मा

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

भाग – 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाय)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम सं० 17

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 05.04.2014 (तारीख) को 12.25 P.M

* अभ्यर्थी / प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 05.04.2014

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

सहायक निर्वाची पदाधिकारी
08-सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
रिटर्निंग ऑफिसर
— सह —
अपर समाहर्ता, सुपौल

भाग – 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

स्वीकृत
5.4.2014

तारीख 05.04.2014

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) —

क्र० सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी प्रस्तुत की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। शून्य

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :- शून्य

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त शून्य
मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए ~~सिद्धदोष ठहराया गया है/~~नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : शून्य

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा : शून्य

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है । यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ शून्य

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे : शून्य

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है ।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है । शून्य

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए ।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है ।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने है ।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	A/c 33761084775				
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	50,000 रु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है । शून्य

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए ।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित – 1	आश्रित – 2	आश्रित – 3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	खाता-123 खेसरा-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	3 कट्ठा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	3 कट्ठा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	फूस का झोपड़ी 3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	200000 रु [illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
SUPAUL SCORE SUPAUL
COURT FEE
Authorization No. 1349
No. 15952

भारत STAMP DUTY 00000 Rs 0000100 INDIA
बिहार BIHAR पाँच रुपये RUPEES FIVE

बिहार JUDICIAL 6624 BU19246

"प्ररूप 26"
-5 4 2014
(नियम 4क देखिए)

ATTESTED
S. P. Singh
Notary Public Supaul
Regn. No. 7/82
5/4/14

08 सुपौल

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) ......लोकसभा...... (सदन का नाम) के लिए

निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र NO. 3033 DATE 5/4/14

भाग-क

मैं ......रामदेव शर्मा...... **पुत्र/~~पुत्री/पत्नी~~ ......सुराय शर्मा...... आयु ......55...... वर्ष, जो सा०- मुसलीम टोला दौलतपुर पोस्ट- दौलतपुर थाना- राघोपुर जिला- सुपौल ...... (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ /करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं ......निर्दलीय...... (** ~~राजनैतिक दल का नाम~~) द्वारा खड़ा ~~किया गया अभ्यर्थी~~/**एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रुप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ......41 निर्मली...... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० ......179...... के क्रम सं० ......877...... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ......9471824116...... है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ......शून्य...... है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति : शून्य

Narendra Pratap Singh
NOTARY
SUPAUL

(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आइ संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	फुस का 3 झोपड़ी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	400 वर्गफीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	15 D.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आइ संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में	आपातील	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

...ndra Pratap Singh NOTARY Regn. ...7/97 SUPAUL Govt. of Bihar

	क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :- (टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्ववों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Shailendra Pratap Singh NOTARY Reg No. 7182 SIWAN (Bihar India)

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं .... सामाज सेवी ....

(ख) पति या पत्नी .... गृहणी ....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद पटना, आई०ए० सी०, संत अवध बिहारी देव कृष्ण महाविद्यालय पचरुखा, मधेपुरा वर्ष 1987-89

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

	I	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	3 कट्ठा 2000006 से लागु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद पटना आई० ए० जी० तृतीय श्रेणी वर्ष 1987-89. संत अवध बिहारी देव कृष्ण महाविद्यालय मधेपुरा (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

Shailendra Pratap Singh NOTARY Reg No. SUPAUL Govt. of Bihar India

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 5-4-14 को सत्यापित किया गया।

5/4/14 रामदेव भगत

Shailendra Pratap Singh
NOTARY PUBLIC
SUPAUL

अभिसाक्षी

Shailendra Pratap Singh NOTARY Reg. No. 7181 SUPAUL Govt. of India

ADV 5.4.14

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण – 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121–2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण–6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9471824116
मेरा ई–मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है शून्य
एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है शून्य

Identified by Sri ... Adv. Who is ... Solemnly affirmed and ... that the contents ...

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी
08-सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

महाशय,

सादर सूचित करते हुए कहना है कि निर्वाचन लेखा के लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिमराही में खाता खोलवाया हूँ। इसका खाता संख्या - 33761084775 है।

रामदेव भगत
ता. 5.4.2014